वर्षः 01 अंकः 12

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - मई - 2022

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
न्यूजलेटर

वर्ष: 01 अंक: 12 मई 2022

संपादक
राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com
@srajeshranjan

हमें यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते हुए एक साल का समय बीत गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित की जा रही मासिक पत्रिका का यह बारहवां अंक है। बीते एक साल के दौरान आयोग ने लगातार अपनी इस मासिक पत्रिका के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराने का भरसक प्रयास किया है और आगे भी लगातार करता रहेगा, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के वे लोग भी आयोग तक अपनी शिकायतों को पहुंचा सकें, जो जानकारी के अभाव में आयोग तक पहुंच ही नहीं पाते। बीते एक साल की तरह ही आयोग की मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए हम पूर्ववत ही आपसे सहयोग की आशा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:
https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE-CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI, MEMBER

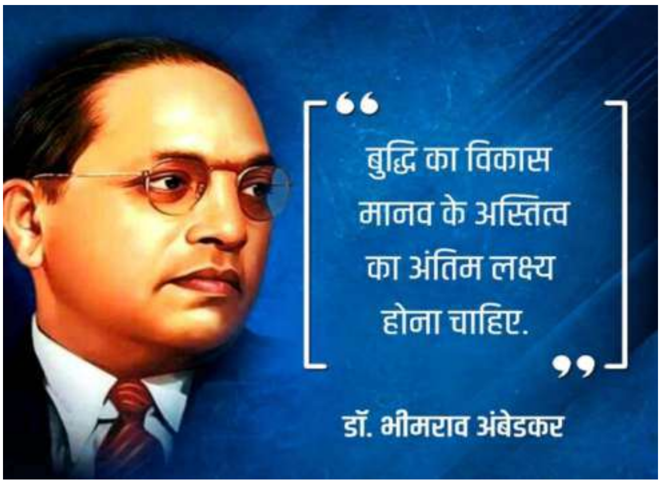

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

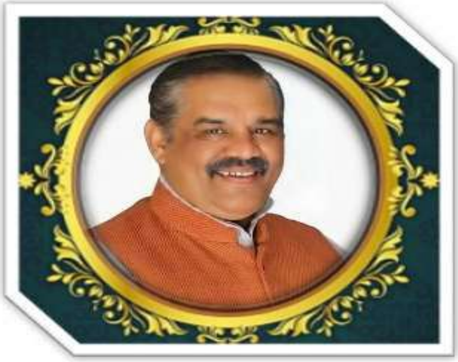

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के बारहवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। गत वर्ष ही आयोग ने अपनी पहली मासिक पत्रिका प्रकाशित की थी। यह जानकर संतोष होता है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के कारण कई बार कार्य प्रभावित होने के बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने का भरसक प्रयास किया है।

बीते एक साल के दौरान आयोग ने कई बाधाओं के बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए समय-समय पर देश के कई राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में सुनवाई तक की। आयोग ने इस दौरान कई ऐसे मामलों को निपटाया जो सालों से लंबित पड़े थे। आयोग आगे भी अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। आयोग ने ई-पोर्टल लॉन्च किया ताकि लोगों को देश के दूरस्थ क्षेत्रों से भी अपनी शिकायत शीघ्रातिशीघ्र आयोग तक पहुंचा सकें।

आयोग ने स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर अपनी इस मासिक पत्रिका की शुरूआत की थी। आयोग पत्रिका के माध्यम से यह संदेश देता रहता है कि बाबा साहेब के दिखाये सामाजिक समरसता और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

इस कार्य में मासिक पत्रिका ने प्रभावी भूमिका निर्वहन की है और भविष्य में भी यह पूर्ववत अपनी भूमिका निभाता रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आपका सहयोग वांछनीय है।

विजय सांपला

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

स्थलीय निरीक्षण

हत्या करने वालों पर होगी कार्रवाई

नागराजू और सैयद अशरीन सुल्ताना ने 2 महीने पहले परिवार की इच्छा के खिलाफ अंतर-धार्मिक शादी की थी. नागराजू की 4 मई की रात करीब 9 बजे सरूरनगर तहसीलदार कार्यालय में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. कई राहगीरों ने इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ने नागराजू के शव की तस्वीरें भी क्लिक कीं. हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. नागराजू की हत्या का आरोप उसकी पत्नी अशरीन के भाई और परिवार वालों पर लगाया. इस घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया एवं कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया. माननीय अध्यक्ष विजय सांपला जी ने तेलांगना राज्य के उच्च पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नागराजू हत्याकांड पर बैठक करते हुए न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया.

ये था मामला

हैदराबाद निवासी 25 साल के नागराजू की 4 मई को चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नागराज ने 23 साल की सैयद सुल्ताना से दो महीने पहले ही शादी की थी। खबरों के मुताबिक आरोप है कि लड़की के घर वालों ने युवक की हत्या करवाई है। घटना के कई पोस्ट वायरल हुए थे। इस घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तेलंगाना पुलिस को अनुसूचित जाति के व्यक्ति नागराजू की हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था।

स्थलीय निरीक्षण के लिए चेन्नई पहुंचे उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने तमिलनाडु राज्य का दौरा किया। इस दौरे की अध्यक्षता आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी ने की। माननीय उपाध्यक्ष ने चेन्नई पुलिस हिरासत में हुई एक मौत और आईआईटी चेन्नई में पीएचडी छात्रा के साथ हुए बलात्कार के मामले में अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किए।

मुजफ्फरनगर जनपद का स्थलीय निरीक्षण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने एक गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दल की अगुवाई आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला जी ने की। इस दौरान आयोग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय सदस्या ने यहां पर आये हुए व्यक्तियों की शिकायतें सुनी। माननीय सदस्या ने शिकायतों को सुनने के बाद संज्ञान लेते हुए शिकायतों के त्वरित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया।

शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी जी ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में विभिन्न जनपदों से आए हुए लोगों की शिकायतें सुनीं। साथ ही उनके शिकायती पत्रों पर सुनवाई करते हुए इनके त्वरित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया।

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार जी भी उपस्थित रहे।

आयोग से संबंधित विषयों पर चर्चा

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अगुवाई माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा आयोग के राजभाषायी निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने दायित्व का निर्वहन किया। इस कार्यक्रम में आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

खबरों में आयोग

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਮਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਭਾਮਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਭਾਮਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਸੱਚ ਕਹੂੰ Thu, 19 May 2022 epaper.sachkahoon.com/c/68123627

मा कलाँ गाँव में दलितों से जमीने खाली करवाने का मामला

एनसीएससी ने तुरंत प्रभाव से कारवाई पर लगाई रोक

सच कहूँ/अश्वनी चावला
चंडीगढ़। पंचायती जमीनों के कब्जे खाली करवाने की आड़ में पंजाब सरकार लुधियाना जिले के गाँव भामा कलाँ में भारत की आजादी के समय से रहते और खेती करते आ रहे अनुसूचित जाति के लोगों से धक्के से जमीन खाली करवाने की कारवाई का सख्त नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर एनसीएससी ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके साथ ही एनसीएससी ने पंजाब सरकार को जमीन खाली करवाने की कारवाई को तुरंत प्रभाव से रोकने के साथ यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

एनसीएससी को दिलबाग सिंह के साथ 75 लोगों ने शिकायत भेज कहा कि वो 1947 से गाँव भामा कलाँ में खेती-बाड़ी कर गुजर बसर कर रहे हैं और इन्हीं जमीनों पर उनके घर भी बने हैं। इन घरों के पते पर बिजली-पानी के कनेक्शन के साथ राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि भी बने हुए हैं। 70 साल से एक-एक परिवार के पास कब्जा है। पंजाब में अब तक किसी भी पार्टी की सरकार ही उन्हें कभी उजाड़ा नहीं गया और अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो पंचायती जमीनों को खाली करवाने की आड़ में हम पर कारवाई की जा रही है। सांपला ने पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के डी.जी.पी. के साथ-साथ डी.सी. व पुलिस कमिश्नर लुधियाना को नोटिस भेज आयोग के भाग 7.2. (क) 5 के तहत स्पष्ट कहा है की जब तक गाँव भामा कलाँ का मामला आयोग के पास लंबित है तब यथास्थिति बनाई रखी जाए और अगर सरकार के अफसरों ने इसकी अवहेलना की तो आयोग प्रीवेन्शन ऑफ अट्रासिटी एक्ट 1989 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कारवाई करेगा।

सच कहूँ Thu, 19 May 2022 epaper.sachkahoon.com/c/68123515

लुधियाना के भामा कलां गांव में दलितों से जमीनें खाली करवा

एन.सी.एस.सी. ने तुरंत प्र... से कार्रवाई पर रोक लग...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दलितों से जमीनें खाली करवाने के मामले में 15 दिन में पंजाब स...

विजय सांपला

चंडीगढ़, मई 18 (नरेश): पंचायती जमीनों के कब्जे खाली करवाने की आड़ में पंजाब सरकार लुधियाना जिले के गांव भामा कलां में भारत की आजादी के समय से रहते और खेती करते आ रहे अनुसूचित जाति के लोगों से धक्के से जमीन खाली करवाने की कार्रवाई का सख्त नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर एन.सी.एस.सी. ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांग है। इसके साथ ही एन.सी.एस.सी. ने पंजाब सरकार को जमीन खाली करवाने की कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोकने के साथ यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

एन.सी.एस.सी. को दिलबाग सिंह के साथ 75 लोगों ने शिकायत भेज कहा कि वो 1947 से गांव भामा कलां में खेतीबाड़ी कर गुजर बसर कर रहे हैं और इन्हीं जमीनों पर उनके घर भी बने हैं। इन घरों के पते पर बिजली-पानी के कनैक्शन के साथ राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि भी बने हुए हैं। 70 साल से एक-एक परिवार के पास कब्जा है। पंजाब में अब तक किसी भी पार्टी की ... नहीं गया और अब ... पार्टी की सरकार ब... खाली करवाने की ... जा रही है।

सांपला ने पंजा... पुलिस के डी.जी.पी... पुलिस कमिश्नर लु... के भाग 7.2 (आ... है कि जब तक गांव ... के पास लंबित है, त... और अगर सरक... अवहेलना की ... अट्रासिटी एक्ट 19... के खिलाफ आवश...

दैनिक सवेरा Thu, 19 May 2022

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को दिया निर्देश- ग्रामीणों को बेदखल न किया जाए

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को दिया निर्देश- ग्रामीणों को बेदखल न किया जाए

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 18 May 2022, 10:45:01 PM

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

As a donor, you are free to choose any amount, any duration and any payment option.
Learn More

चंडीगढ़: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने लुधियाना जिले में आजादी के बाद से रह रहे अनुसूचित जाति के निवासियों के खिलाफ निष्कासन (बेदखल) के आदेश जारी करने के पंजाब सरकार के फैसले पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को एक नोटिस जारी किया।
उन्होंने राज्य से 15 दिनों में जवाब देने को कहा है।

इसके अलावा, एनसीएससी ने सरकार से निष्कासन अभियान को रोकने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी कहा है।

भामा कलां गांव के निवासियों ने एनसीएससी को दी शिकायत में कहा है कि 1947 से गांव में 200 एकड़ जमीन पर उनका कब्जा रहा है।

ग्रामीणों ने कहा, 1947 से, हम कृषि और आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास बिजली और पानी के कनेक्शन हैं, इसके अलावा इन पतों पर अन्य सरकारी पहचान वाले दस्तावेज भी हैं।

उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, लेकिन अब, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार हमें तुरंत जमीन खाली करने के लिए कह रही है। यह उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्थानीय स्कूल में जाना पड़ता है। हम जमीन खाली नहीं कर सकते हैं और अपने बुजुर्ग परिजनों को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, खासकर जो लोग अस्वस्थ हैं। हम एनसीएससी से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारी मदद करें और हमारी जमीन की रक्षा करें।

हालांकि, आयोग की प्रक्रियाओं के नियमों के प्रासंगिक खंड (7) को लागू करते हुए, एनसीएससी ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, लुधियाना के उपायुक्त और एसएसपी को मामला लंबित रहने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

एनसीएससी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और अगर ऐसा पाया जाता है, तो आयोग समय-समय पर संशोधित अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

डिस्क्लेमर: यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी

भारत | दुनिया | खेल | बिजनेस | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | फीचर्स | मनोरंजन | राज्य | चुनाव | लोकरुचि | आज का इ...

राज्य »
पंजाब / हरियाणा / हिमाचल
Posted at: May 20 2022 4:50PM

दलित लड़के पर अत्याचार, अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़, 20 मई (वार्ता) पंजाब में मुक्तसर जिले के मलौट में एक 12 वर्षीय दलित लड़के को नग्न कर पीटने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से एक सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के यहाँ जारी बयान के अनुसार कल आयोग के संज्ञान में यह मामला आया था जिसमें मलौट के हरजिंदर नगर की निवासी एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि अर्शदीप सिंह ने उनके पुत्र को नग्न कर पीटा और फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी।
महिला की शिकायत के अनुसार उसके पति ने सात साल पूर्व उससे सम्बन्ध तोड़ दिए थे जिसके बाद वह सर्वं बोड़ला गाँव के निवासी अर्शदीप सिंह के संपर्क में आयी थीं। अर्शदीप सिंह ने बाद में किसी और से विवाह कर लिया पर उनके घर आना नहीं छोड़ा। उन्होंने जब सम्बन्ध समाप्त करने चाहे तो उसने उन्हें और उनके पुत्र को परेशान करना शुरू किया और हाल में एक दिन घर आकर पुत्र को नग्न कर बुरी तरह पीटा और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी।
महिला के अनुसार मलौट शहर थाना पुलिस ने उनकी मदद नहीं की और आरोपी ने पुलिस थाने में उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
आयोग ने पुलिस और प्रशासन से सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है और चेतावनी दी है कि रिपोर्ट निर्धारित समय में नहीं मिली तो उन्हें समन भेजकर दिल्ली बुलाया जा सकता है।

THE NEW INDIAN EXPRESS

NATION | WORLD | STATES | CITIES | BUSINESS | SPORT | GOOD NEWS | MOVIES

Home > States > Tamil Nadu

NCSC notice to school education department over clash among Coimbatore students

A mother of a boy, who was beaten up by some caste Hindu students, said, "Usually, a few students play on the ground in the evenings.

For representational purposes (Express Illustrations)

By Express News Service

COIMBATORE: National Commission for Scheduled Castes (NCSC) on Wednesday issued ... to the Superintendent of Police, Coimbatore, and school education department seeking explanation on alleged discrimination of SC students at the Panchayat Union Primary (PUMS) Nalluthukuli in Pollachi.

A mother of a boy, who was beaten up by some caste Hindu students, said, "Usually, a ... students play on the ground in the evenings. On May 7, when five SC students, includi... son, were playing, children from another community from a nearby school threatene... The five defied them, and the caste Hindu boys, studying in classes IX and X, abused th... using caste name and my son was beaten up. He suffered an injury on his face."

The woman said parents of the other boys threatened and insulted them when she complained to them. "We lodged a complaint against the boys in the sub-collector's off... police station on May 9, seeking action against parents who are encouraging discrimin... among their children. A probe is on," she said.
An educational official who inquired this issue, told TNIE.

"This clash was between primary school students and high school students. The caste ... students scolded the boys using caste name. After that, eight students did not come to ... exam last Monday. We have submitted a report with the top officers." Activists took u... issue with NCSC recently and it sought a report in 15 days.

Notice to CMCH dean
Further, the commission issued notice to the dean of Coimbatore Medical College Hosp... (CMCH) following complaints that sanitation workers were paid less and not provided ... amenities in the hospital. The commission directed the dean to file a reply soon.

Stop eviction of villagers, SC ... tells Punjab ...

CHANDIGARH: Ta... strong notice aga... Punjab governm... issuing eviction ... against schedule... residents of Bha... Kalan village of Ludhiana, who a... living there since independence, N... Commission for Scheduled Caste... (NCSC) chairman ... Sampla issued a ... to the state gover... on Wednesday a... asked them to su... reply within 15 d... The NCSC also a... Punjab governm... immediately stop... eviction drive an... maintain status ...

Stop eviction of villagers, Punjab told

Chandigarh: Taking note of the Punjab government's decision to issue eviction orders against Scheduled Caste residents in Ludhiana district, who are living there since Independence, National Commission for Scheduled Castes chairman Vijay Sampla on Wednesday issued a notice and asked the state to reply in 15 days. The NCSC also asked the government to stop the eviction drive and maintain status quo.

In a complaint to NCSC, residents of Bhama Kalan village said they have possession of 200 acres in the village since 1947. "Since 1947, we are utilising the land for agricultural and residential purposes. We have electricity and water connection, besides other government identification documents on these addresses... But now, the ruling AAP government is asking us to immediately vacate the land," the villagers rued.

The NCSC warned the officers that no Scheduled Caste should be forced to vacate the land, or the commission will take necessary action against the erring officers. IANS

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी को पंजाब दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

पंजाब प्रांत के हॉकी खिलाड़ियों के एक दल ने आयोग की माननीया सदस्या डॉ. अंजू बाला और माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003